UPSD040135892026

Bail Application/1671/2026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ०टी०सी०, सिद्धार्थनगर।

फौ० वाद सं०–3211/2018

सरकार–––बनाम––––कलावती देवी।

मु०अ०सं०–1767/2017

धारा–60 आबकारी अधिनियम

थाना लोटन, जिला–सिद्धार्थनगर।

आदेश

दिनांक–01.07.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। प्रार्थिनी/अभियुक्ता **कलावती उर्फ कमलावती** की ओर से मु०अ०सं०–1767/2017 अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता जरिये अधिवक्ता द्वारा आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह निर्दोष है, कोई जुर्म नहीं किया है। मुकामी पुलिस ने गुड विल बढ़ाने के लिए फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया है। उसके पास से कोई शराब की बरामदगी नहीं हुई है। फर्जी बरामदगी दिखाकर उसे फंसाया गया है। घटना के बाबत कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में या उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगी और हाजिर अदालत आती रहेगी। ऐसी स्थिति में अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्ता उक्त प्रकरण में आरोपित है। अभियुक्ता का अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता **कलावती उर्फ कमलावती** मु०अ०सं०–1767/2017, अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर में अभियुक्ता है। अभियुक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। अभियुक्ता पर अधिरोपित धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी.बी.आई.** मामले में पारित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **कलावती उर्फ कमलावती** द्वारा मु०–20,000/–(बीस हजार रूपये) का स्वबन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग, कि वह न्यायालय द्वारा अग्रिम नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी एवं न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करेगी, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

(वकील),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

एफ०टी०सी०, सिद्धार्थनगर।

J.O. code–UP–2634

Digitally signed by VAKEEL
Date: 2026.07.01 15:39:38 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court